

# ग्रामीण सेवा शिविर-2025

पत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प रे.व.म.प.स.

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गो.प.प.प.  
व भू.अ.नि. कुरज की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रे.व.म.प.स. / नायब  
तहसीलदार ..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गो.प.प.प. तहसील रे.व.म.प.स. व  
जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् २०२२ में खाता संख्या ३० में  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमूल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :- काबलकार की नक → गणेशी वाई पति ५९. धरी गुणत  
१५/१२

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	गो.प.प.प.	30	SBBJ शाखा राजसमंद	SBI शाखा राजसमंद

5  
सहायक न्यायाधिकारी  
(उप खण्ड अधिकारी)  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....

क्रमांक: प.प.प.प./२०२५/१०६  
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 3/10/25

1. तहसीलदार रे.व.म.प.स. को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट गिजवावें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

5  
सहायक न्यायाधिकारी  
(उप खण्ड अधिकारी)  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....